राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
राजस्व वाद संख्या 79/2014
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – जालिया प्रथम

1. श्रीमती पन्नी देवी आयु 85 वर्ष पत्नि स्व. श्री लाडूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती तीजा आयु 50 वर्ष पुत्री स्व. श्री लाडूसिंह पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह, जाति रावत निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) हाल निवासी ग्राम बिलातों का बाड़िया वाया सराधना

---- वादीगण

ब ना म

1. श्री फतेहसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
2. श्री भंवरसिंह उर्फ मल्लासिंह आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
3. श्री गिरधारीसिंह आयु 56 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
4. श्री धन्नासिंह आयु 52 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
   समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर (राज.)
5. श्रीमान् तहसीलदार बजरिये लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
6. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी, ब्यावर (राज.)
7. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)

----------प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 03.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में पेश हुआ। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि **ग्राम खेजड़ला पटवार हल्का मालीपुरा** भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित आराजी साबिक खसरा संख्या 06 जिसके हाल खसरा संख्या 04 रकबा 00–14–10, साबिक ख.नं. 7 जिसके हाल खसरा संख्या 14 रकबा 00–04–00, 15 रकबा 00–19–00, 16 रकबा 01–04–00, साबिक खसरा संख्या 16 जिसके हाल खसरा संख्या 23 रकबा 00–13–10, साबिक खसरा संख्या 33 जिसके हाल खसरा संख्या 54 रकबा 00–14–00, साबिक खसरा संख्या 88 जिसके हाल खसरा संख्या 126 रकबा 01–07–00, साबिक खसरा संख्या 91, 97 जिसके हाल खसरा संख्या 148 रकबा 02–02–00 स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का मालीपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित आराजी सबिक खसरा संख्या 235 रकबा 04–19–00 जिसके हाल खसरा संख्या 350 रकबा 01–13–00, 351 रकबा 01–13–00, 352 रकबा 01–13–00 तथा साबिक खसरा संख्या 234/2 जिसके हाल खसरा संख्या 348 रकबा 02–01–10 स्थित है जो भूमियां वादिया संख्या 1 के पति व वादिया संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता/दादा स्व. श्री लाडूंसिंह पुत्र स्व0 श्री धीरासिंह की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है व भूमि खसरा संख्या 234/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 348 वादी संख्या 1 द्वारा अपने पति स्व. श्री लाडूसिंह व स्वयं के स्वअर्जित कमाई से अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने नाबालिग पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खरीदी थी। वादिया संख्या 1 के पति स्व. री लाडूसिंह की मृत्यु वर्ष 1964 में हुई, उस समय प्रतिवादी संख्या 1 फतहसिंह 10 वर्ष, प्रतिवादी संख्या 2 भंवरसिंह उर्फ मल्लासिंह 8 वर्ष, प्रतिवादी संख्या 3 गिरधारीसिंह 6 वर्ष, प्रतिवादी संख्या 4 धन्नासिंह 4 वर्ष व वादिया संख्या 2 श्रीमती तीजा 6 माह के थे। वादिया संख्या 1 अनपढ़ व निरक्षर महिला होने से व पति की मृत्यु के बाद 6 माह तक सामाजिक रीति रिजवानुसार घर से नहीं निकलने के कारण उसके देवर व जेठ व समाज के अन्य बिरादरी के लोगों ने बिना वादिया संख्या 1 की जानकारी के उपरोक्त वाद के पद संख्या 1 में वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से स्व. लाडूसिंह के स्थान पर उनके नाम से फौती दाखिल खारिज खुलवा दिया जिसकी कोई भी जानकारी वादीगण को अनपढ़ होने के कारण नहीं हो सकी जबकि वादिया संख्या 1 के पति लाडूसिंह की मृत्यु वर्ष 1964 में उस समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 लागू था और उक्त अधिनियम के तहत पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति में प्रथम उत्तराधिकारी उसकी पत्नि/पुत्रान/पुत्रियां होते है। और उक्त अधिनियम के तहत ही स्व. लाडूसिंह

.........लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्व. लाडूसिंह की समस्त खातेदारी भूमियों के कानूनन उत्तराधिकारी होने से खातेदार काश्तकार हो गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा राजस्व कानूनगों से मिलीभगत करके जो अपने अकेले के नाम से दाखिल खारिज खुलवाया वा नामान्तरकरण कत्तई गलत व गैरकानूनी होने से शुरू से ही प्रभावशून्य व निरस्तनीय है। वादीगण संख्या 1 व 2 भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ उपरोक्त भूमियों में 1/6–1/6 हिस्से के तहत खातेदार काश्तकार हैं और उक्त अनुसार राजस्व जमाबन्दी में उपरोक्त भूमियां अपने नाम कराने के वादीगण अधिकारी हैं। दिनांक 8.5.14 को प्रतिवादी संख्या 1 का समाज द्वारा परित्याग कर देने के कारण उसने उपरोक्त वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमियों सहित खसरा नम्बर 348 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की अलग–अलग जालिजया हिस्से अनुसार लगी हुई थी, उन सारी जालियों को ताड़कर पटक दिया और बंबूल व बोर के पेड़ों को काट दिया और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का नुकसान कर दिया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 गिरधारी द्वारा पुलिस थाना ब्यावर सदर में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई तो वह धनबल और बाहुबल में मजबूत होने के कारण वादीगण को धमकाया । इस कारण वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा/स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण को निषेध कराने के अधिकारी हैं, इस कारण वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तथाकथित बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 जो वादिया संख्या 1 द्वारा अपनीं निजी धनराशि से पूसा उर्फ पूसाराम से भूमि साबिक खसरा नम्बर 234/2 हाल खसरा नम्बर 348 खरीद की है और उक्त बेचाननामें के समय वादिया की जानकारी के बिना उसके नाबालिग पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया, इस कारण उक्त बेचाननामा शुरू से ही अवैध व शून्य होने, गैर कानूनी होने/निष्प्रभावी व शून्य दस्तावेज है और उक्त भूमियों पर वर्ष 1966 से वादिया संख्या 1 द्वारा ही विक्रेता पूसा उर्फ पूसाराम से कब्जा प्राप्त किया गया था, इस कारण कब्जा मुखालफाना के तहत उक्त भूमियों पर वादिया संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को छह हिस्से में निरन्तर अलग–अलग कब्जा चला आ रहा है इस कारण उक्त भूमि के अलग–अलग मिन नम्बर डाले जाकर वादीगण की धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 27 मियाद अधिनियम के तहत 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये हैं और उक्त अनुसार उपरोक्त खसरा भूमि अपने नाम कराने के वादीगण अधिकारी हैं। ग्राम शिवनाथपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 30 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 350, 351, 352 में घीसासिंह, नीम्बसिंह पिसरान धीरसिंह वादिया संख्या 1 जेठ है और इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके वारिसान के विरूद्ध कोई भी अनुतोष नहीं चाहते हैं, इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त खाते में एक हिस्सा वादीगण के पति/पिता स्व. लाडूसिंह का है और उक्त एक हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ वादीगण भी उत्तराधिकारी होने से खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं।

अतः वादीगण को वादपत्र की पद संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ स्व. लाडूसिंह पुत्र धीरासिंह केक हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वारिस पत्नि/पुत्री होने के कारण उन्हें वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया, उपरोक्त भूमियों में वादीगण को बतौर खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार ब्यावर को आदेश पारित की जावे। बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 एबनिशियो ऑफ लॉ होने से नल एण्ड वॉइड दस्तावेज होने से शून्य एवं शून्यकरण होना घोषित किया जावे व भूमि खसरा नम्बर 234/1 हाल खसरा नम्बर 348 के वादिया संख्या की खरीदशुदा होने एवं कब्जा प्राप्त होने व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के बालिग हो जाने पर उन्हें बाहमी बंटवारा अनुसार बराबर–बराबर बंटवारा व कब्जा होने के कारण उन्हें 1/6–1/6 का खातेदार काश्तकार होना घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम निरस्त कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित फरमाया जो व इस आशय की तहरीर तहसीलदार ब्यावर को जारी की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे तथा वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित ग्राम खेजड़ला में स्थित खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 6, 7, 7, 7, 16, 33, 88 व खाता संख्या 67 के खसरा संख्या 91, 97 व ग्राम शिवनाथपुरा में स्थित भूमि खसरा संख्या 348 प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारे से इंकार हो जाने पर उनका माप व सीमांकन से बंटवारा किया जावे तथा इस आशय की प्रारंभिक व अंतिम डिक्री पारित की जावे।

......................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रतिवाद पत्र में वादीगण के वाद को नकारते हुये सारांशतः कथन किए हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 348 जवाबदेहिन्दा प्रतिवादी संख्या 1 की स्वर्जित आय से खरीदी हुई है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा नहीं है व ना ही हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम खेजडला में रहती ही नही है, एंव वह अपने ससुराल में ही रहकर अपने ससुराल की ही भूमि की काश्त करती चली आयी एंव उक्त आराजी भूमि हाल खसरा नंबर 4, 14, 15, 16, 23, 54 व 126 का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार वादीगण का नही है, जबकि वादीगण के कथन कि सन् 1964 में प्रतिवादी संख्या 1 फतेहसिंह की आयु 10 साल हो बल्कि सन् 1966 में फतेहसिंह की आयु 1966 में लगभग 21 साल की आयु थी फतेहसिंह ने ही अपनी स्वअर्जित आय से उपरोक्त भूमि खरीद की है। जबकि हाल खसरा नंबर 148 व 126 गैर खातेदारी के खसरे थे एंव गैरखातेदारी होने के कारण स्वंय प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम ही लगातार बतौर दर्ज चली आ रही है। नामान्तकरण की कार्यवाही सन् 1965 में हुई जिसे आज लगभग 50 साल से वादीगण को उक्त नामान्तकरण की जानकारी थी उसके बावजूद अब वर्ष 2014 में प्रस्तुत वाद पेश किया है, जो कि चलने योग्य नही है। वादिया संख्या 2 स्व. श्री लाडूसिंह की जायन्दा सन्तान नही है एवं न्यायालय को गुमराह करने की बदनियतिवश वादपत्र की चरण संख्या 2 में सजरा गलत अंकित किया है जिसे कि ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों से साबिक करवाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित हाल खसरा संख्या 348 की हक व हद तक वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण बिना वादकरण प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रांरभिक तौर पर ही खारिज होने योग्य है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिविरूद्ध व गैरकानूनी होने के कारण खारिज़ किया जावे।

प्रकरण में उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 4, 14, 15, 16, 23, 54, 126 फतेहसिंह, मलासिंह, गिरधारीसिंह, धन्नासिंह पिसरान लाडू कौम रावत के खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 148 फतेहसिंह, मलासिंह, गिरधारीसिंह, धन्नासिंह पिसरान लाडू कौम रावत के शास्वत गैर–खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में खसरा नंबर 350, 351, 352 घीसासिंह, नीम्बसिंह पिसरान धीरसिंह 2 हि0, फतेहसिंह, भंवरसिंह, गिरधारीसिंह, धन्नासिंह पिसरान लाडूसिंह 1 हि0 राहिन प्रान्तीय सरकार मुर्तहीन दर्ज होना पाया गया। वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में खसरा नंबर 348 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरान के हाल खसरा नंबरान होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में साबिक खसरा नंबर 234/2 में हजारी पुत्र लाखा व पूसा पुत्र धन्ना गुजर के नाम दर्ज होना पाया गया एंव इसी जमाबंदी में जरिये नामान्तकरण संख्या 79 के अनुसार फतेहसिंह पुत्र लाडूसिंह रावत के नाम दाखिल खारीज खोला जाना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में साबिक खसरा नंबर 5, 6, 4, 7, 8 में घीसा, लाडू, नीम्बा पिसरान धीरा कोम रावत के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में साबिक खसरा नंबर 235 घीसासिंह, लाडूसिंह, नीम्बासिंह पिसरान धीरा कोम रावत के नाम खातेदारी में व इसी जमाबंदी में जरिये लाडूसिंह के फोत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 88 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2025 से 2028 में साबिक खसरा नंबर 5, 6, 4, 7, 8 में घीसा, नीम्बा पिसरान धीरा 2 हि0 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1 हिस्सा दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार रजिस्टर्ड

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 के अनुसार पूसा उर्फ पूसाराम पुत्र धन्ना कौम गुजर द्वारा साबिक खसरा नंबर 234/2 प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान किया जाना पाया गया। उक्त साबिक खसरा नंबर 234/2 को बेचान के वक्त वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को नाबालिग होने का कथन करते हुये खरीद किया जाना बताया गया है, जबकि उक्त सम्पूर्ण बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 में प्रतिवादी संख्या 1 फतेहसिंह पुत्र लाडूसिंह रावत निवासी खेजडला अंकित होना पाया गया है, उसमें कही पर भी नाबालिग अंकित होना नही पाया गया। जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र में विवादित भूमियो को पुश्तैनी आराजीयात होने का कथन करते हुये अपना हक हिस्सा क्लेम किया जाने का कथन किया है, जबकि साबिक खसरा नंबर 4, 5, 6, 7, 8 की भूमियां संवत 2021 से 2024 में घीसा, लाडू, निम्बा पिसरान धीरा दर्ज है, किन्तु वादीगण द्वारा केवलमात्र साबिक खसरा नंबर 6, 7, एंव साबिक खसरा नंबर 91, 97 के विषय में ही पत्रावली पर दस्तावेज पेश किया जाना पाया गया जबकि साबिक खसरा नंबर 5, 4, 8 के हाल खसरा नंबर क्या बने उसके विषय में भी कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। साबिक खसरा नंबर 235 जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में घीसा, लाडू, निम्बा पिसरान धीरा दर्ज है, किन्तु वादीगण द्वारा वाद विभाजन का प्रस्तुत किया गया जाना पाया गया है, किन्तु घीसा व नीम्बा पिसरान धीरा के वारीसान को इस विभाजन के दावे में पक्षकारान नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा **ग्राम खेजड़ला पटवार हल्का मालीपुरा** भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित आराजी हाल खसरा संख्या 04 रकबा 00–14–10, हाल खसरा संख्या 14 रकबा 00–04–00, 15 रकबा 00–19–00, 16 रकबा 01–04–00 में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण को प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त भूमियो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के बीच उक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार पृथक पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा उक्त वर्णित हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में आई भूमियो का तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि विवादित भूमि में जब तक विधिक रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा किसी भी प्रकार की बेचान संबंधी कार्यवाही नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार प्रारंभिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.5.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्रारंभिक डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

राजस्व वाद संख्या 79/2014

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – जालिया प्रथम

1. श्रीमती पन्नी देवी आयु 85 वर्ष पत्नि स्व. श्री लाडूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती तीजा आयु 50 वर्ष पुत्री स्व. श्री लाडूसिंह पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह, जाति रावत निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) हाल निवासी ग्राम बिलातों का बाड़िया वाया संराधना

----- वादीगण

ब ना म

1. श्री फतेहसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
2. श्री भंवरसिंह उर्फ मल्लासिंह आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
3. श्री गिरधारीसिंह आयु 56 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
4. श्री धन्नासिंह आयु 52 वर्ष पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह
   समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर (राज.)
5. श्रीमान् तहसीलदार बजरिये लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
6. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी, ब्यावर (राज.)
7. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)

--------प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री ताराचन्द शिवनानी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री सूरजसिंह
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.05से07 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 79/2014
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **03.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.05.2018 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा **ग्राम खेजड़ला पटवार हल्का मालीपुरा** भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित आराजी हाल खसरा संख्या 04 रकबा 00–14–10, हाल खसरा संख्या 14 रकबा 00–04–00, 15 रकबा 00–19–00, 16 रकबा 01–04–00 में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण को प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त भूमियो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के बीच उक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार पृथक पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा उक्त वर्णित हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में आई भूमियो का तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि विवादित भूमि में जब तक विधिक रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा किसी भी प्रकार की बेचान संबंधी कार्यवाही नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पियूष समारिया)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पियूष समारिया)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर